"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2002—श्रावण 8, शक 1924

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

क्रमांक 06/04/2002/1127.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 480/2002-PLN-III, दिनांक 30 जुलाई, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2002—श्रावण 8, 1924 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2002-योजना-III.—यत: (स्व.) श्री कृष्णकान्त भारत के उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर सामान्यत: अगस्त, 2002 के 20वें दिन समाप्त होना था ; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उप धारा (1) और (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 68 (1) की शर्तों पर जारी 10 जुलाई, 2002 की अपनी अधिसूचना सं. 480/2002-योजना-III द्वारा भारत के उप-राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए तारीखे नियत की थी ताकि इस प्रकार निर्वाचित उप-राष्ट्रपति अगस्त, 2002 के 21वें दिन पदभार संभाल सकें ; और

यत:, श्री कृष्णकान्त भारत के उप-राष्ट्रपति की 27 जुलाई, 2002 को दुर्भाग्यवश देहावसान हो गया और परिणामस्वरूप भारत के उप-राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (2) की शर्तों पर 27 जुलाई, 2002 को और उस दिन से रिक्त हो गया है ; और

यत:, भारत के उप-राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पहले ही जुलाई, 2002 के 10 वें दिन से ही जारी है और उक्त निर्वाचन के लिए मतदान, अगस्त, 2002 के 12वें दिन को होना नियत है ; और

यत:, 27 जुलाई, 2002 को श्री कृष्णकान्त की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए उस निर्वाचन के पूरा होते ही उस निर्वाचन में निर्वाचित निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी इस योग्य होगा कि भारत के उप-राष्ट्रपति का पदभार संभाल सके और यह आवश्यक नहीं है कि भारत के उप-राष्ट्रपति के पद की उक्त रिक्ति को भरने के लिए नए सिरे से दूसरा निर्वाचन कराया जाए ;

अत: अब, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके साथ-साथ राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उप-राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए, तारीख 10 जुलाई, 2002 की अपनी अधिसूचना सं. 480/2002-योजना-III के द्वारा भारत के उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले से ही अपेक्षित निर्वाचन, राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उप धारा (1) और (4) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (2) की शर्तों पर जारी किए माने जाएंगे.

आदेश से,

हस्ता./-
(शरन पाल सिंह)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 30th July 2002— 8 Sravana, 1924 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2002-PLN-III.—Whereas, the term of office of (late) Shri Krishan Kant, Vice-President of India, was due to expire normally, in terms of Article 67 of the Constitution, on the 20th day of August, 2002; and

Whereas, the Election Commission *vide* its Notification No. 480/2002-PLN-III, dated 10th July, 2002, issued in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution read with sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), had so appointed the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the Vice-President thereby elected could enter upon his office on the 21st day of August, 2002; and

Whereas, Shri Krishan Kant, Vice-President of India, unfortunately expired on the 27th day of July, 2002 and a vacancy has consequently arisen in the office of the Vice-President on and from the 27th day of July, 2002, in terms of clause (2) of Article 68 of the Constitution; and

Whereas, an election to fill the vacancy in the office of the Vice-President of India is already in progress since the 10th day of July, 2002 and the poll for the said election is scheduled to be taken on the 12th day of August, 2002; and

Whereas, the Vice-President elected thereby shall be in a position to enter upon the vacant office of the Vice-President of India, as soon as may be after the completion of the said election, to fill the vacancy caused by the death of Shri Krishan Kant on the 27th day of July, 2002, and it is not necessary to call afresh another election to fill the said vacancy in the office of the Vice-President of India;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers of superintendence, direction and control, *enter alia*, of elections to the Vice-President of India under Article 324 of the Constitution read with the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, hereby directs that the election already called *vide* its Notification No. 480/2002-PLN-III, dated 10th July, 2002, to fill the vacancy in the office of the Vice-President of India shall be deemed to have been issued in terms of clause (2) of Article 68 of the Constitution read with sub-sections (1) and (4) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952).

By Order,

Sd/-
(SHARAN PAL SINGH)
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.